International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 4 Ser. I ||April, 2020 || PP. 68-69

महिला : एक सार्थक शब्द

भगवाना राम बिष्नोई
सह आचार्य हिन्दी राजकीय महाविद्यालय सिरोही राजस्थान

महिला' अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द ''है'' जो अपने भीतर बहुत कुछ छिपाये हुए है वो मां है वो बहन है वो पत्नी है'' और क्या–क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, समाज में मजबूती से अपना योगदान देती महिलायें सब कुछ वगैर कहे ही वयां कर जाती हैं... अपने आस पास के परिवेश को देखें घरेलू महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करतीं कामकाजी महिलायें ये समाज की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ना सिर्फ जिंदगी और उससे जुड़ी तमाम खुशियों में इजाफा होता रहता है बल्कि ये समाज ये संस्कृति भी कायम है।

'महिला सशक्तिकरण' या Women Empowerment अक्सर ये शब्द 'अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस' जो 8 मार्च को मनाया जाता है उस वक्त इसका जिक्र बड़ी ही प्रमुखता के साथ होने लगता है और कहा जाता है कि देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। महिलायें कितनी सक्षम हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं हैं महिलाओं ने खुद ही अपनी हिम्मत और श्रम से हर समाज और हर दौर में इसे साबित किया है।
साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है।
आज महिलाएं अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, हांलाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं।

देश के कानून में महिलाओं को दिए गए हैं ये अधिकार–

1. **समान वेतन का अधिकार**– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
2. **वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून**– यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी।
3. मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार– मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है।
4. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार– भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार– 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
5. संपत्ति पर अधिकार – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।
6. पिता की संपत्ति पर अधिकार– भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा।
7. नाम न छापने का अधिकार– यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है, अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।

8. पति की संपत्ति से जुड़े हक– शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत न होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं।

9. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार– ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

10. रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार– आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए, साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है

11. पति–पत्नी में न बने तो– अगर पति–पत्नी साथ न रहना चाहें, तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए, तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है।

12. गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

13. मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार– बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। हम खुद को (मॉर्डन) आधुनिक कहते हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइजेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।

हांलाकि ऐसा कहना बेमानी होगा कि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है यहां महिलाओं को उपर्युक्त कानून बनाकर काफी शक्तियां दी गई है लेकिन ग्राउंड लेबल पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की गुंजाइश है, इसके बावजूद महिलायें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी और बेहद सुंदरता से और खास बात बगैर किसी अपेक्षा के निभाये जा रही है।

संदर्भ सूची–

1. मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक५६
2. ग्रामीण महिला सशक्तिकरणः कोरेथ जॉर्ज, वडेहरा किरण
3. प्रवक्ता कॉमः– 5 जुलाई 2010